न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 82 / 2018

उनवान

रतन सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
–– वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
प्रतिवादीगण :– जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.6.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खसरा नम्बर 735 मिन रकबा 0–19–0 व 735 मिन रकबा 0–4–10 की आराजी वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज है। आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 237 से खातेदारी दर्ज की गयी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.12 वादी के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज कर दिया गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 1712 / 3250 रकबा 0.07 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आाजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन हुआ है ?
–– वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
–– वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी रतन सिंह व गवाह छीतर के बयान दर्ज करवाये। राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तोज नही पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 543 रकबा 0–4–0 मोडू पुत्र उज्जा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 735 के हाल खसरा नम्बर 1712 व 1712/3250 बने है। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 735 का 0–15–0 ही वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 735 का कुल रकबा वादी के कथन अनुसार 1–03–10 है। शेष आराजी की जमाबंदी वादी ने प्रस्तुत नही की है। वादी अथवा उसके पूर्वजों को उक्त आराजी किस तरह प्राप्त हुयी यह वादी ने स्पष्ट नही किया है। वादी के पूर्वजों के नाम सम्पूर्ण आराजी कभी भी गैर खातेदारी/खातेदारी नही रही। ना ही वादी ने आराजी मुतनाजा के आवंटन का आदेश पेश किया है। उक्तानुसार अभिलेखिय साक्ष्य के अभाव में वादी कि कथन सिद्व नही होते है। तनकी विरूद्व, वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी/पूर्वज की विधिवत आवंटनशुदा नही है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर की पूर्ण रकबे की स्थिति वादी ने स्पष्ट नही की है। वादी के पूर्वज के नाम वंर्किग खसरा नम्बर 735 का 0–15–0 रकबा ही खातेदारी था। जिसका हाल खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.12 खातेदारी में दर्ज है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन पेश किया है। शेष रकबे की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1712/3250 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (जिला-अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रतन सिंह बनाम राज0 सकार

दावा बाबत :–88,188, 92 ए राज. का. अधि0 1955, 136 भू रा0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –82/2018
पेश करने की दिनांक –02.07.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1712/3250 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14/6/24 माह सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बावत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद